भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1010

उत्तर देने की तारीख 2 दिसंबर, 2024

सोमवार, 11 अग्रहायण 1946 (शक)

युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम

1010. श्री उमेशभाई बाबुभाई पटेल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में युवाओं के कौशल विकास के लिए संघ राज्य क्षेत्रों दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विशेष संदर्भ सहित राज्य-वार कितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष सहित विगत सात वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं और खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार अथवा स्व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) विगत सात वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में जिला-वार और वर्ष-वार कितने युवाओं को रोजगार मिला?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल युक्त करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

(ख) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की संख्या तथा चालू वित्त वर्ष सहित पिछले सात वर्षों के दौरान इस पर व्यय की गई निधि निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

स्कीम	प्रशिक्षित	जारी निधि
पीएमकेवीवाई (2017-18 से 31.10.2024 तक)	11,039	5.57
जेएसएस (2018-19 से 10.11.2024 तक)	12,202	4.21
एनएपीएस (2018-19 से 31.10.2024 तक)	3,643	0.91*

* एनएपीएस के तहत, प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है और वित्त-वर्ष 2016-17 से दिनांक 31-10-2024 तक निधि जारी की जाती है।

आईटीआई के लिए सीटीएस स्कीम के संबंध में दिन-प्रतिदिन का प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।

(ग) भावी कार्यबल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने, कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में बदलावों के अनुरूप बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की स्कीमों के तहत पेश किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार-मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योग जगत के अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है।

ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकता को पूरा करने वाली भविष्य के लिए तैयार जॉब रोलों, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं मानक स्थापित करता है।

iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग-मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

v. डीजीटी ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) एमएसडीई की स्कीमों में से, इस स्कीम के पहले तीन चरणों अर्थात पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में केवल अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में ही नियोजन को विशेष रूप से ट्रैक किया गया था, जिसे वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया था। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया गया था। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के एसटीटी घटक के अंतर्गत नियोजित किए गए युवाओं की जिला-वर्षवार संख्या इस प्रकार है:

	दादरा और नगर हवेली	**दमन**	**दीव**
2017-18	0	0	0
2018-19	364	346	0
2019-20	317	896	425
2020-21	0	30	200
2021-22	32	0	0
कुल	**713**	**1272**	**625**

*****